



Neutral Citation No. - 2026:AHC:48582

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 6128/2026

जान मोहम्मद

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 31 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : उत्कर्ष सिंह

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : आज़ाद राय, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. इस मामले में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, विपक्षी को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि विपक्षी इस आदेश से व्यथित महसूस करते हैं, तो उन्हें आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 2/अपर आयुक्त, प्रयागराज मंडल, प्रयागराज को यह निर्देश दिया जाए कि वे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24(4) के तहत दायर वाद संख्या 805/2024 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



सी202402000000805) (जान मोहम्मद बनाम मनोहर उर्फ राम मनोहर) का शीघ्रतापूर्वक निस्तारण करें।

4. यह मामला अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष काफी लंबे समय से लंबित है और काफी समय व्यतीत हो चुका है, किंतु आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 2/अपर आयुक्त, प्रयागराज मंडल, प्रयागराज उपर्युक्त वाद का निस्तारण पूर्णतः विधि के अनुरूप, अत्यंत शीघ्रतापूर्वक और अधिमानतः अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से चार माह की अवधि के भीतर करें; किंतु ऐसा करते समय, जब तक कोई विधिक बाधा न हो, अनावश्यक स्थगन प्रदान न किया जाए।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया)

9 मार्च, 2026

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”